संख्या-110/2015/आर-2501/26-3-2015-10(36)/2002

प्रेषक,

विजय प्रसाद त्रिपाठी,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
जनजाति विकास,
उ0प्र0, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 23 अक्टूबर, 2015

विषयः- वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-81 के अन्तगत अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास हेतु चलायी जा रही आयोजनागत पक्ष की अनुसूचित जनजातियों की सहायता अनुदान योजना में कृषि, बागवानी, कुटीर उद्योग हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, जनजाति विकास के पत्र-142/ज.जा.वि./2015-16, दिनांक-31.07.2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-81 के आयोजनागत पक्ष की योजना कृषि/बागवानी में किये गये आय-व्ययक प्राविधान रूपया-5.00 लाख के सापेक्ष धनराशि रूपया-2.50 लाख तथा कुटीर उद्योग योजना में किये गये आय-व्ययक प्राविधान रूपया-5.00 लाख के सापेक्ष रूपया-2.50 लाख सहित कुल आय-व्ययक प्राविधान रूपया-10.00 लाख के सापेक्ष रूपया-5.00 लाख (रूपया पांच लाख मात्र) की धनराशि व्यय किये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत कर निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1) उक्त स्वीकृति धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा। किसी प्रकार की विचलन की स्थिति में आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि पूर्व वर्षों में स्वीकृत की गयी कोई धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डाकखानों/डिपाजिट आदि खातों में अवशेष जमा नहीं है।

(3) उक्त स्वीकृति की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय किये जाने से पूर्व जिन मामलों में शासन की पूर्व अनुमति/स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें अनुमति प्राप्त कर व्यय किया जायेगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का पुर्नविनियोजन एक योजना/मद से दूसरी योजना/मद में नही किया जायेगा।

(5) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र नियमानुसार महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

(6) गत वित्तीय वर्ष में स्वीकृति की गयी धनराशि के सापेक्ष वित्तीय/भौतिक प्रगति की सूचना के साथ उपभोग प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या-81 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-'2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण-आयोजनागत-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-07-प्रदेश में निवास करने वाली जनजाति जो इस समय अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल है, के लिये सहायक अनुदान-0701-कृषि/बागवानी हेतु अनुदान-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन),0702-कुटीर उद्योग हेतु अनुदान-20-सहायता अनुदान-सामान्य '(गैर वेतन)' के नामें डाला जायेगा।

--2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च 2015, में निहित प्राविधानों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

पृं0संख्या-110/2015/2501(1)/26-3-2015 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी/लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0,इलाहाबाद।
2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (दो अतिरिक्त प्रतियों सहित)
5- समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/ कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ।
6- राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2
7- गार्ड फाइल/इन्टरनेट प्रति ।

आज्ञा से

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।